स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 164, दिनाकः 29–05–2025

मु0अ0सं0 693/2024, थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ में वांछित व अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैग का 01 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 29–05–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को मु0अ0सं0 693/2024 धारा 61(2)(क) बीएनएस व 3/25(8) आर्म्स एक्ट थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ में वांछित व अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

धीरेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू दाढी पुत्र श्याम सिंह नि0 मौ0 बालमुकन्द पुरी गली नं0 7 बिनौली रोड बडौत थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दिनाक–29–05–2025, समय–13:20, बजे, स्थान–रोहटा रोड फ्लाईओवर के नीचे थानाक्षेत्र कंकरखेडा जनपद मेरठ।

विगत कुछ दिनों से एसटीएफ उ0प्र0 को उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से असलहा की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होकर तस्करी किये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उक्त क्रम में दिनांक 23.11.2024 को अभियुक्त रोहन पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम लोहड्डा थाना कोतवाली बड़ौत जनपद बागपत को 17 अवैध बन्दूकों एंव 700 कारतूस सहित एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके पश्चात दिनांक 20.12.2024 को अभियुक्त अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी पुत्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सिसौली थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर को 1. 01 अदद US RIFLE WINGHESTER .30 बोर कारबाईन, 01 अदद मैंगजीन US RIFLE WINGHESTER .30 बोर कारबाईन, 15 अदद जिन्दा कारतूस US RIFLE WINGHESTER .30 बोर कारबाईन, 01 अदद US RIFLE SPRING FIELD ARMORY .30 बोर एंव 01 अदद पम्प एक्शन गन 12 बोर के गिर0 कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 13.05.2025 को उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र जगदीश निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत को गिर0 कर जेल भेजा गया।

दिनांक 29.05.2025 को एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ के निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में हैड कान्स0 रकम सिंह, हैड कान्स0 रोमिश तोमर, हैड कान्स0चालक विनय कुमार, की टीम अभिसूचना संकलन एंव वांछित अपराधियों की तलाश/गिरफ्तारी हेतु जनपद मेरठ क्षेत्र में मौजूद थी, कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 693/2024 धारा 61(2)(क) बीएनएस व 3/25(8) आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू दाढी रोहटा रोड मेरठ बाईपास

फ्लाईओवर के नीचे खडा हैं, यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता हैं। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम मय मुखबिर के उसके द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंची तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि सामने जो व्यक्ति काली टी शर्ट व नीले लोअर मे खड़ा है यहीं धीरेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू दाढी है और मुखबिर चला गया। तत्पश्चात एसटीएफ टीम द्वारा एकबारगी दबिश देकर धीरेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू दाढी उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि वह काफी समय पहले कस्बा बडौत में मोटर साईकिल ठीक करने की दुकान करता था जिससे उसके घर का पूरा खर्चा नही चल पाता था। वह कस्बा बडौत के पास ही स्थित गांव लोहड्डा में दूध लेने जाता था, वहीं पर उसकी रोहन पुत्र राकेश से जान पहचान हो गयी थी, जिसने उससे कहा था कि मैं अवैध अस्लाह का व्यापार करता हुँ तथा पंजाब से पिस्टल व कारतूस लाकर जनपद बागपत, मेरठ, हरियाणा, दिल्ली में सप्लाई करता हूँ, जिससे भारी मुनाफा होगा। इसके बाद वह रोहन की बातों में आकर उसके साथ अवैध अस्लाह के व्यापार में जुड गया। अब से करीब 10 महीने पहले रोहन ने उसे एक .30 बोर का पिस्टल डेढ लाख रूपयें में बेचा था जो उसने ढाई लाख रूपये में अपने परिचित को बेची थी। रोहन द्वारा यह भी बताया था कि मैं अपने साथी अनिल बालियान उर्फ बंजी व अन्य साथियो के साथ नवम्बर 2024 में पंजाब जाऊंगा और वहां से कुछ बन्दूके व कारतूस लेकर आऊंगा, उनमें से मैं कुछ तुम्हे भी कम रेट पर दे दूंगा तुम उनको अपने भरोसे के व्यक्तियों को ज्यादा रेट पर बेचकर भारी मुनाफा कमा लेना। उसके बाद दिसम्बर 2024 में जानकारी हुई की रोहन को पुलिस द्वारा गिर0 कर लिया हैं तथा उससे पंजाब से लायी गयी काफी बन्दूके व कारतूस भी पुलिस ने पकड लिया और मैं तभी से छिपता घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 693/2024 धारा 61(2) (क) बीएनएस व 3/25(8) आर्म्स एक्ट के अभियोग में दाखिल किया गया है, जो पूर्व से पंजीकृत हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>अभि0 धीरेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू दाढी उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	1260/11	134 लो0सम्पत्ति अधि0	बडौत	बागपत
2	586/19	25/30 आर्म्स एक्ट	बडौत	बागपत
3	693/24	61(2) (क) बीएनएस व 3/25(8) आर्म्स एक्ट	कंकरखेडा	मेरठ